	स्नातक प्रथम वर्ष में उपलब्ध सीटों का ब्यौरा							
कक्षा	वर्ग/ सैक्शन	कुल	उपलब्ध संख्या					
			सामान्य	अनु.जनजाति	अनु.जाति	ओबीसी	एमबीसी	ईडब्ल्यू एस
बी.ए.पार्ट I	15	**1200**	432	144	192	252	60	120
बी.एससी पार्ट I								
गणित	3	**210**	76	25	34	44	10	21
बॉयोलोजी	2	**140**	50	17	23	29	07	14
बी.कॉम पार्ट I	3	**240**	87	29	38	50	12	24

नोटः— 1. प्रत्येक संकाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग चिकनी परत को छोड़कर, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रम से 16%, 12%, 21%, 5% एवं 10% स्थान आरक्षित रहेंगे।

2. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए 3%एवं कश्मीरी पिस्थपितों के लिए 1% स्थान क्षतिजवर्तो आरक्षण नियमो के नियमानुसार आरक्षित रहेंगे।

प्रवेश नियमावली

1. महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।

2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। पूर्व आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के बाद रिक्त स्थान होने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे।

3. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. जिन छात्र/छात्राओं को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।

6. प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होना आवश्यक है।

(क) अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ (प्रवेश होने पर मूल प्रति जमा करानी होगी।)

(ख) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रवेश होने पर मूल प्रति जमा करानी होगी)

(ग) विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) जो छात्र/छात्राएँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर से आ रहे हैं। (यदि हो) अन्यथा यह प्रवेश के 30 दिनों के भीतर जमा कराना होगा।

(घ) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./वि.पि.व. का/से है तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी दण्डनायक का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(ड़) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं जो आयकर दाता नहीं हैं तो उसके द्वारा

तत्संबधी प्रमाण पत्र देने पर उससे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(च) आय प्रमाण पत्र।

(छ) खेल आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।

7. जिन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, उनके नाम कॉलेज के सूचना पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक अंकित कर दिए जायेंगे। उसके उपरान्त छात्र/छात्राओं को निश्चित तिथि तक शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

8. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय में अपना परिचय पत्र, फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें इसे महाविद्यालय में सदैव अपने साथ रखना होगा।

9. आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिऐ। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।

10. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं के हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और उसका प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

11. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ताधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात 3 वर्ष की अवधि के भीतर कॉशन मनी वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में यह राशि राजकीय कोष में जमा करा दी जायेगी।

13. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार करें/प्रवेश निरस्त कर दें।

14. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिए। सूचना के अभाव में हानि के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

15. एन.सी.सी/एन.एस.एस./स्काउट के प्रवेश हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।

16. किसी छात्र के विरूद्ध पुलिस एफ.आई.आर दर्ज होने या न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने या महाविद्यालय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।